सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016

फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक**I/376723/2025** भोपाल**18-07-2025**

प्रति,

संयुक्त संचालक/ उप संचालक,

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,

जिला - समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः-दिनांक 09/07/2025 को आयोजित वी.सी के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00–

दिनांक **09/07/2025** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहें। विडियो कॉफ्रेंसिंग में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1.सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में अधिक समय से लंबित **5** शिकायतों के संबंध में संबंधित जिला अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जिला बैतूल, सीधी, भोपाल एवं नर्मदापुरम से चर्चा की गई एवं आगामी वी.सी. से पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिये गये। उक्त **5** शिकायतें निम्नानुसार हैं-

क्र	शि.क्र.	नाम	जिला	निकाय	शिकायत का विवरण	लंबित दिन
1	**28011144**	कंचन	बैतूल	बैतूल (ग्रामीण)	हितग्राही का नाम कमला जी उम्र **60** वर्ष है, निवासी ग्रामीण बडोरा बैंक खाता **3272010000441** बैंक का नाम बैंक ऑफ बरौदा बैंक शाखा बैतूल में हैं आवेदक का कहना हैं कि आवेदक को वृध्धावस्था पेंशन **03** माह से नहीं मिल रही हैं	**359**
2	**28668224**	संदीप	सीधी	रामपुरनैकिन	हितग्राही का नाम सुख लाल बर्मा उम्र **7 2** है, निवासी राम पुरनैकिन शहरी आवेदक को वृध्धावस्था पेंशन **3** माह से नहीं मिल रही है	**314**
3	**29019899**	रजनी	भोपाल	भोपाल (एम कार्पोरेशन)	आवेदक का नाम रजनी साहू आवेदन दिनांक खाता नं.**5513671197** बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया शाखा भोपाल है आवेदक द्वारा बताया जा रहा है की आवेदक के पती घर के मुखिया की मृत्यु हो गयी है जिसकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत आज दिनांक तक राशि प्राप्त नही हुई है	**290**
4	**29044549**	राजेश	नर्मदापुरम	बाबई	जिला -नर्मदापुरम ब्लॉक- बाबई हितग्राही का नाम- जीवन पाल , उम्र- **6 2** साल है, निवासी शहरी बाबई वार्ड नंबर-**1** ढोंगा मोहल्ला आवेदक को वृध्धावस्था पेंशन **5** माह से नहीं मिल रही है	**288**
5	**29405837**	सुशीला	सीधी	सीधी (ग्रामीण)	हितग्राही का नाम. रामकली तिवारी जी उम्र **72** है, ग्रामीण आवेदक को वृध्धावस्था पेंशन दिसंबर माह **2023** से नहीं मिल रही है	**263**

2. तत्पश्चात सर्वाधिक लंबित शिकायतों वाले निकाय में संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं जिला अधिकारी से चर्चा की गई। नगर निगम भोपाल एवं नगर निगम इंदौर में सर्वाधिक शिकायतें लंबित हैं। नगर निगम भोपाल में पदस्थ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा कन्या विवाह योजना से संबंधित शिकायतें अधिक होने के संबंध में अवगत कराया गया। नगर निगम इंदौर में पदस्थ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांनतरण के कारण अभी अभी पदभार ग्रहण करने के संबंध में अवगत कराया गया।

   इसी प्रकार अन्य निकायों में भी पदस्थ अधिकारियों को शिकायतों की संख्या में कमी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. विभाग की **100** दिवस से लंबित शिकायतों के संबंध में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। भोपाल एवं भिंड जिले में **100** दिवस से लंबित शिकायतें अधिक संख्या में पाई गई। अत: प्राथमिकता के आधार पर उक्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
4. समस्त जिला अधिकारियों को सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। जो निम्नानुसार कुल **23** शिकायतें लंबित पाई गई।

क्र.	शिका. क्र.	शिकायतकर्ता	जिला	निकाय	लंबित दिन
1	33167259	श्री सुनील	इन्दौर	इन्दौर (न.नि.)	8
2	33066110	रमेश	इन्दौर	इन्दौर (न.नि.)	13
3	33064211	Shri ASHOK	इन्दौर	इन्दौर (न.नि.)	13
4	32912797	ऊषा	इन्दौर	महू	22
5	31803044	रामनाथ	इन्दौर	इन्दौर (न.नि.)	90
6	32501674	हरी लाल	उमरिया	मानपुर-उमरिया	46
7	31303248	राजेश्वरी हरीश	कटनी	विजयराघवगढ़	124
8	33205394	अंकित	खण्डवा	खालवा	5
9	33198719	अंकित	खण्डवा	खालवा	5
10	32879912	धर्मेन्द्र	गुना	बमोरी	24
11	30822902	Shashikant	ग्वालियर	ग्वालियर (एम कार्पोरेशन)	155
12	33212120	राजकुमार	दतिया	इन्दरगढ़	5
13	32498617	पवन जी	बालाघाट	बैहर (ग्रामीण)	46
14	32912849	राकेश	भिण्ड	गोहद	22
15	32376892	बदरी प्रसाद	भोपाल	भोपाल (एम कार्पोरेशन)	53
16	32695642	Manju	मुरैना	मुरैना	35
17	31920152	अरुण	रायसेन	साँची (ग्रामीण)	82
18	33106678	राकेश	विदिशा	ग्यारसपुर	11
19	32838349	महेंद्र	शिवपुरी	पिछौर (ग्रामीण)	26
20	31502854	काली	शिवपुरी	शिवपुरी	110
21	33028390	खेमचंद	सागर	देवरी (ग्रामीण)	15
22	33028448	खेमचंद	सागर	देवरी (ग्रामीण)	15
23	33225882	Shri RAMADHAR	सिंगरोली	देवसर	4

5. समस्त जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये वर्ष **2025-26** के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल **(https://scholarships.gov.in)** पर ऑनलाईन आवेदन के लिये दिनांक **25** जून **2025** से प्रारंभ हो चुका है। पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के आवेदन पोर्टल पर करवाने एवं संस्था स्तर से ऑनलाईन सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
6. विभाग की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदनों का निराकरण समय - सीमा में किये जाने के संबंध में शासन द्वारा पत्र क्रं **I/228047/2025** दिनांक **28/03/2025** जारी किया गया, उक्त पत्र में स्पष्ट लेख किया गया था कि विभागीय योजनाएं अत्यंत संवेदनशील है व समाज के सबसे कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग के लिये संचालित होती है। मान. मुख्यमंत्री जी के समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में प्राय: विभाग की योजनाओं के प्रकरणों को चयनित किया जाता हैं। प्रकरणों में जिला/स्थानीय स्तर पर कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित भी है, समस्त योजनाओं में स्वीकृति के अधिकारी जिला/ निकाय स्तर पर पदाभिहित अधिकारी को दिये गये है, जिसमें आवेदन का निराकरण करने की समय-सीमा निर्धारित है।
7. शासन के निर्देशों के उपरांत भी पेंशन पोर्टल पर बहुत अधिका संख्या में आवेदन लंबित है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि जिला अधिकारियों द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा नियमित रूप से नहीं की जा रही है और ना ही निकाय में पदस्त अधिकारियों व विभाग के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लंबित आवेदनों के निराकरण में कोई रूचि ली जा रही है, यह अत्यंत खेदजनक है कि विभागीय अधिकारी भी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उदासीन है।
8. लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत पहाडगढ, जिला मुरैना के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पहाडगढ, जिला मुरैना द्वारा केवल उन्ही आवेदनों को स्वीकृत किया जाता है, जो आवेदन लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त होते है। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी आवेदक को लोक सेवा केन्द्र से आवेदन करने हेतु बाध्य नहीं किया जाता सकता है। आवेदन किसी भी माध्यम (ऑनलाईन / ऑफलाईन) से कार्यालय में प्राप्त होता है, उक्त आवेदन का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा **15** कार्य दिवस में करना सुनिश्चित करें। समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर अपीलीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शास्ति आरोपित करें।
9. दिव्यांग विवाह एवं कल्याणी विवाह के प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर से किया जाना होता है, किंतु उक्त योजनाओं में भी आवेदन अधिक समय से लंबित है, अत: जिला अधिकारी उक्त योजनाओं में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करते हुये लंबित आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें।
10. संचालनालय के पत्र क्रं. स्था./**2024/918** दिनांक **30/05/2024** में विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को **HRMS** पोर्टल पर **onboard** करने हेतु लेख किया गया था व सतत् जिलों से पत्राचार किया जा रहा है किंतु **1** वर्ष से अधिक समय होने के उपरांत भी समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों की जानकारी को **HRMS** पोर्टल पर **onboard** नहीं किया गया है, अत: **31** जुलाई **2025** तक विभाग के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों को **HRMS** पोर्टल पर **onboard** करना सुनिश्चित

करें।

11. शासकीय/ विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर **onboard** करने हेतु दिनांक **14/06/2022** को संचालनालय से पत्र जारी किया गया था, किंतु विगत **3** वर्षो में सतत् मॉनिटरिंग करने के उपरांत भी विभागीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर **onboard** नहीं कराया जा सका है, यह खेदजनक है। सभी जिला अधिकारी **31** जुलाई **2025** तक समस्त विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर **onboard** कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त शासकीय/ विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं डीडीआरसी के अनुदान प्रस्ताव विभागीय पोर्टल **(socialjustice.mp.gov.in)** पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाने के संबंध में शासन द्वारा दिनांक **21/03/2025** को पत्र जारी किया गया है किंतु अनुदान प्राप्त करने हेतु अत्यंत कम संस्थाओं द्वारा ही आवेदन ऑनलाईन किया गया है, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि वित्तीय वर्ष **2025-26** से अनुदान केवल ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत ही संस्था को जारी किया जाये।
13. समस्त शासकीय/ विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं डीडीआरसी का मोबाइल एप्प के माध्यम से निरीक्षण करने के संबंध में शासन द्वारा दिनांक **04/04/2025** को पत्र जारी किया गया है, किंतु केवल **20** जिलों द्वारा **100** संस्थाओं का ही निरीक्षण मोबाइल एप्प के माध्यम से किया गया है। समस्त जिला अधिकारी जिले में पदस्थ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को पोर्टल पर दर्ज कर यूजर बनाये व उन्हें निरीक्षण हेतु संस्था एसाईन करें, समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी **31** जुलाई **2025** तक शासकीय / अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण अपडेटेड मोबाइल एप्प के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।
14. शासकीय / अशासकीय संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को विभागीय पोर्टल पर मासिक जानकारी प्रतिमाह की **10** तारीख तक दर्ज किये जाने के निर्देश है किंतु अत्यंत कम शासकीय / अशासकीय संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ही मासिक रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज की गई है। सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह की **10** तारीख तक उनके जिलें की समस्त शासकीय / अशासकीय संस्थाओं एवं जिले में पदस्थ सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की मासिक रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज हो, जिला अधिकारी उक्त मासिक रिपोर्ट की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
15. समीक्षा में यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि जिला अधिकारियों/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शासन / संचालनालय से जारी पत्रों का अध्ययन नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। विभाग के समस्त महत्वपूर्ण पत्र/दिशा-निर्देश संबंधित पोर्टल व विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाते है, अत: अधिकारी उक्त पत्र/दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना सुनिश्चित करें।

16. मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिले के **06-18** वर्ष के दिव्यांग बच्चें को आपके जिले के महिला बाल विकास अधिकारियों को उनकी लिस्ट सत्यापन पश्चात भेजे जाने के लिए निर्देशित किया गया।

17. विभाग अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की सुविधा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने तथा भवन संधारण एवं पर्याप्त सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देशित किया गया।
18. अशासकीय संस्थाओं का गुणवत्ता ऑडिट/निरीक्षण किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
19. प्रदेश में संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र **DDAC,IRCA,ODIC** एवं **CPLI** के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव वर्ष **2025-26** के उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
20. **Addiction Treatment Facility (ATF Centres) 28** गैप जिलो में खोले जाने एवं उनके प्रस्ताव एम्स नई दिल्ली को प्रेषित करने की समीक्षा हेतु निर्देशित किया गया।
21. **NMBA** पोर्टल/ वेव लिंक पर दर्ज गतिविधियों की जानकारी की समीक्षा हेतु निर्देशित किया गया।
22. नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत गठित जिला सतरीय समिति की वर्ष **2024-25** में आयोजित बैठकों का विवरण एवं बैठको में समिति द्वारा क्या-क्या निर्णय लिये गये है के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
23. जिलों में संचालित नशामुक्ति से संबंधित समस्त संस्थाओं की विभागीय पोर्टल पर ऑनबोडिग कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं समस्त नशामुक्ति केन्द्रों से नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह भरवाने एवं इसकी समीक्षा जिला स्तर से करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
24. प्रदेश में संचालित समस्त नशामुक्ति केन्द्रों यथा**-DDAC, IRCA, ODIC, CPLI** एवं प्रचार-प्रसार संस्थाओं का मोबाइल एप से मासिक निरीक्षण / गुणवत्ता ऑडिट की समीक्षा हेतु निर्देशित किया गया।
25. वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धों को पेंशन के संबंध में वृद्धाजनों के बैंक खाते खोलकर विभाग के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में पात्रतानुसार हितग्राही चिन्हांकित किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
26. प्रदेश में सवैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित वरिष्ठ आश्रमों के गेप जिले एवं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के वित्तीय वर्ष **2025-26** के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में निर्देशित किया गया।
27. राजय निराश्रित निधि से प्रदाय अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जानै के संबंध में निर्देशित किया गया।
28. उभयलिंगी वयक्तियों के पहचान पत्र एवं पहचान प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

Digitally signed by
Ramesh Kumar Singh
Date: 18-07-2025
15:06:00

Ramesh Kumar Singh
DEPUTY DIRECTOR

सामाजिक न्याय एवं

दिव्यांगजनसशक्तिकरण, म.प्र

पृ.क्रमांक**I/376723/2025** भोपाल**18-07-2025**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त जिला समन्वयक एवं समग्र संयोजक और समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी उल्लेखित बिन्दुओ को अपने-अपने जिलों से समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण कर इस कार्यालय को अवगत कराये।

Ramesh Kumar Singh
DEPUTY DIRECTOR
सामाजिक न्याय एवं
दिव्यांगजनसशक्तिकरण, म.प्र